एस. एल.	तिथि	कार्यालय टिप्पणी, संख्या रिपोर्ट, आदेश या कार्यवाही या दिशाएँ और निबंधक के साथ आदेश हस्ताक्षर के साथ	न्यायालय या न्यायाधीश के आदेश
	11.12.2023		सी-482 संख्या 1002/2023 में आइए सं. 1 सन 2023 (कंपाउंडिंग एप्लीकेशन) <u>माननीय राकेश थपलियाल, जे.</u> 1. श्री एम.के. रे, विद्वान वकील, आवेदकों की ओर से उपस्थित हुए , श्री वी.एस. पाल, विद्वान सहायक सरकारी वकील राज्य की ओर से उपस्थित हुए और श्री विनय सिंह चौहान, प्रत्यर्थी संख्या 2 के विद्वान वकील। 2. प्रस्तुत सी-482 आवेदन में, एक कंपाउंडिंग प्रार्थनापत्र (आईए नंबर 1 सन 2023) पेश किया गया है, जो आवेदकों के हलफनामे के साथ-साथ प्रत्यर्थी नंबर 2 के हलफनामे के साथ भी समर्थित है। 3. सभी आवेदक एवं प्रत्यर्थी नंबर 2 न्यायालय में उपस्थित हैं । इस न्यायालय ने उनमें से प्रत्येक के साथ बातचीत की। इन सभी की पहचान उनके संबंधित वकील द्वारा उनके आधार कार्ड के माध्यम से की गई है। 4. आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 324 और 506 के तहत अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट / चतुर्थ अतिरिक्त सिविल जज (एसडी), रुद्रपुर, उधम सिंह नगर की अदालत में लंबित

			आपराधिक शिकायत मामले 2015/2015 की संख्या 4375 करतार सिंह बनाम हरजीत सिंह और अन्य, की संपूर्ण कार्यवाही के साथ न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी/प्रथम अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (एसडी), रुद्रपुर, जिला उधम सिंह नगर द्वारा पारित समन आदेश दिनांक 11.05.2017 को चुनौती देते हुए वर्तमान सी-482 आवेदन प्रस्तुत किया गया है। 5. प्रत्यर्थी नंबर 2-करतार सिंह ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रुद्रपुर, उधम सिंह नगर की अदालत के समक्ष आवेदकों के खिलाफ परिवाद केस नंबर 4375/2015 के तहत परिवाद दर्ज किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि जब प्रत्यर्थी नंबर 2 अपने खेत में कृषि कार्य में लगा हुआ था, आवेदक घातक हथियारों से लैस होकर वहां आए और प्रत्यर्थी नंबर 2 को गाली देना शुरू कर दिया और उसे कृषि कार्य करने से रोका, और फिर उसकी पिटाई की, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्यर्थी नंबर 2 को चोटें आईं। इसके बाद, मजिस्ट्रेट ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 200 और 202 के तहत बयान दर्ज किए और परिणामस्वरूप, आवेदकों को आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 324 और 506 के तहत मुकदमे का सामना करने के लिए 11.05.2017 को समन जारी किया। 6. आवेदकों के साथ-साथ प्रत्यर्थी नंबर 2 के विद्वान वकील का कहना है कि सभी आवेदक और प्रत्यर्थी नंबर 2 एक ही गांव के हैं और उन्होंने अपने विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है और वे इस कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। हालाँकि, राज्य के विद्वान सहायक सरकारी

			वकील श्री वी.एस. पाल का कहना है कि धारा 324 के तहत अपराध समझौता योग्य नहीं है और आईपीसी की धारा 147, 148, 149 और 506 के तहत बाकी अपराध समझौता योग्य हैं। उनका निष्पक्ष रूप से कहना है कि आईपीसी की धारा 324 के संबंध में अपराध को शमन किया जा सकता है क्योंकि ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य (2012) 10 एससीसी303 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के मद्देनजर आरोप व्यक्तिगत प्रकृति के प्रतीत होते हैं। 7. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद और पक्षों के बीच हुए समझौते को देखने के बाद, इस न्यायालय का मानना है कि कंपाउंडिंग आवेदन स्वीकार किया जाना चाहिए। तदनुसार, कंपाउंडिंग आवेदन स्वीकार किया जाता है। आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 324 और 504 के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/चतुर्थ अतिरिक्त सिविल जज (एसडी), रुद्रपुर, जिला उधम सिंह नगर की अदालत में लंबित आपराधिक शिकायत केस नंबर 4375 सन 2015, करतार सिंह बनाम हरजीत सिंह और अन्य की पूरी कार्यवाही को अपास्त किया जाता है। 8. वर्तमान सी-482 आवेदन तदनुसार निस्तारित किया जाता है। **(राकेश थपलियाल, जे)** 11.12.2023 राठौर